

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- एफ.2(ग)एसीपी/1990-111/285

दिनांक :- 08.04.2021

आदेश संख्या:- 376/2020-21

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.15(1)एफ.डी./रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017, 09.12.2017 एवं एफ.14(88)एफ.डी./रूल्स/2008 दिनांक 12.01.2018 के अनुसरण में निम्नांकित कार्मिकों को कनिष्ठ लेखाकार के पद पर 27 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर उनके कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से प्राप्त संतोषजनक सेवा संबंधी प्रमाण पत्र एवं संतान घोषणा पत्र के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 6 में उल्लिखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद की तृतीय आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) पे मैट्रिक्स के लेवल L-13 में स्वीकृत की जाती है।

क.सं.	नाम (सर्वश्री)	मेरिट/ बैच नं.	लिंक नम्बर	कनिष्ठ लेखाकार /समान लेवल के अन्य पद पर प्रथम कार्यग्रहण तिथि	तृतीय एसीपी देय तिथि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	माणकचन्द माली	724/88	5999	07.09.1991	07.09.2018	9 वर्ष की एपीएआर प्राप्ति के आधार पर स्वीकृत
2	चन्दनमल पालीवाल	190/89	4543	11.02.1991	11.02.2019	9 वर्ष की एपीएआर प्राप्ति के आधार पर स्वीकृत एवं एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के कारण
3	देवीशंकर वर्मा	209/89	6114	11.02.1991	11.02.2018	9 वर्ष की एपीएआर प्राप्ति के आधार पर स्वीकृत
4	रामकिशोर शर्मा	245/90	2077	01.09.1993	01.09.2020	
5	तारसिंह	309/90	5171	30.07.1993	30.07.2020	9 वर्ष की एपीएआर प्राप्ति के आधार पर स्वीकृत
6	जयशंकर रांकावत	399A/90	8983	03.01.1994	03.01.2021	
7	पवन कुमार शर्मा	416/90	4965	03.01.1994	03.01.2021	9 वर्ष की एपीएआर प्राप्ति के आधार पर स्वीकृत
8	बृजेश कुमार शर्मा	421/90	3871	03.01.1994	03.01.2021	9 वर्ष की एपीएआर प्राप्ति के आधार पर स्वीकृत
9	राजेन्द्र कुमार गोयल	423/90	2145	03.01.1994	03.01.2021	
10	राजकुमार शर्मा	434/90	2149	05.03.1994	05.03.2021	
11	देवेन्द्र कट्टा	435/90	3964	03.01.1994	03.01.2021	
12	अशोक कुमार शर्मा	441/90	3714	03.01.1994	03.01.2021	
13	अनोपसिंह	478/90	3717	10.08.1993	10.08.2020	
14	देवेन्द्र कुमार सक्सेना	494/90	3997	03.01.1994	03.01.2021	9 वर्ष की एपीएआर प्राप्ति के आधार पर स्वीकृत
15	कमलेश कुमार गुप्ता	497/90	3137	03.01.1994	03.01.2021	
16	राजेन्द्र कुमार अग्रवाल	525/90	2208	03.01.1994	03.01.2021	
17	राजेन्द्र प्रसाद गहन	589/90	2221	03.01.1994	03.01.2021	
18	प्रभुदयाल जाजोरिया	596/90	4994	18.02.1994	18.02.2021	
19	रूपचंद लेखवानी	DGS/90	9310	03.03.1994	03.03.2021	
20	शैलेश कुमार माहेश्वरी	DGS/90	6195	21.10.1993	21.10.2020	9 वर्ष की एपीएआर प्राप्ति के आधार पर स्वीकृत
21	दीपन अग्रवाल	DGS/90	1219	21.03.1994	21.03.2021	
22	खेतसिंह राजपुरोहित	65/92	3493	07.08.1993	07.08.2020	
23	सुजान सिंह मीणा	588/92	5837	12.08.1993	12.08.2020	

उपरोक्त तालिका में क्रम संख्या 1,2,3,5,7,8,14 एवं 20 पर अंकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-प्रथम के गत 07 वर्ष में से पूरे 07 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होने पर वित्त विभाग के आदेश दिनांक 27.07.2012 द्वारा प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर गत 09 वर्ष में से 7 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की उपलब्धता के आधार पर तृतीय आश्वासित कैरियर प्रगति इस शर्त पर स्वीकृत की जाती है कि भविष्य में उक्त अवधि के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जाकर तदनुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

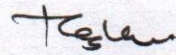
क्रम संख्या 02 पर अंकित कार्मिक को आदेश क्रमांक 2016-2019 दिनांक 09.01.2017 के द्वारा सीसीए-17 के तहत कार्यवाही करते हुए एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के दंड से दंडित किया गया है। इस आधार पर कार्मिक को तृतीय आश्वासित कैरियर प्रगति दिनांक 11.02.2018 के स्थान पर 11.02.2019 को स्वीकृत की गई है।

उपरोक्त कार्मिकों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 30.10.2017 के पैरा 14(2) एवं आदेश दिनांक 09.12.2017 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि इन्हें-

1. पुनरीक्षित वेतनमान 2017 के अनुसार वेतन भुगतान किया जा रहा है।
2. पूर्व में तृतीय आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृति नहीं की गई है।
3. कॉलम संख्या 6 में उल्लेखित आश्वासित कैरियर प्रगति देय तिथि से गत 7 वर्ष पूर्व तक कोई दण्ड नहीं दिया गया है।
4. इनके विरुद्ध फौजदारी/विभागीय जांच लंबित अथवा प्रस्तावित नहीं है।
5. गत 7 वर्षों से नियमित वेतन वृद्धियां मिल रही हैं।

इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि संबंधित कार्मिकों की सेवापुस्तिका में आवश्यक रूप से की जावे।

विभागीय समसंख्यक क्रमांक 355/2020-21 दिनांक 22.03.2021 में क्रम संख्या 02 के कॉलम संख्या 06 में दिनांक 11.02.2018 के स्थान पर 11.02.2021, कॉलम संख्या 07 में "तीसरी संतान के कारण" पढ़ा जावे, क्रम संख्या 18 पर "नरसिंह राम मीणा" के स्थान पर "नरसीराम मीणा" तथा क्रम संख्या 32 पर "रमेश चन्द चौहान" के स्थान पर "रमेश सिंह चौहान" पढ़ा जावे।


(सर्वेश कुमार तिवारी)
निदेशक

दिनांक :- 08.04.2021

क्रमांक :- एफ.2(ग)एसीपी/1990-111/235

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....
2. सहायक निदेशक (एपीएआर शाखा)
3. संबंधित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I.....
4. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
5. सहा उपनिदेशक (एसीपी) विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. निजी पत्रावली हेतु मूल आवेदन पत्र/गार्ड फाईल/गोपनीय अनुभाग।


(भवानी सिंह मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)